न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक 9.7..2020

मि.न 112/2020

सरकार बनाम रामेश्वर वगै0
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खड़ब ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम के पिचाणी तहसील कोटपूतली के ख0 न0 140/0.98 है0 किस्म गै0मु0 पहाड़ में से 0.02 है0 भूमि पर रामेश्वर, ताराचन्द, उमराव पुत्र प्रभूदयाल जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी उपला स्वामी तन खड़ब ने पुख्ता निर्माण कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली किये गये। सूचना बाद गैर सायलान जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। वास्ते जबाब अवसर दिये जाने के उपरान्त भी गैर सायलान द्वारा कोई जवाब पेश नही किया गया तथा ना ही कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया जिसके आधार पर गैर सायलान को अनुतोष दिया जा सके। हमने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट , पत्रावली में सलग्न दस्तावेज पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि वाके ग्राम पिचाणी के खसरा नंबर 140/0.98है0 किस्म गै0मु0 पहाड़ में से 0.02है भूमि पर गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्व होता है । अतः आतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायलान रामेश्वर, ताराचन्द,उमराव पुत्र प्रभूदयाल जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी उपला स्वामी तन खड़ब तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम पिचाणी तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 140/0.98है0 किस्म जमीन गै0मु0 पहाड़ में से 0.02 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायलान द्वारा किये गये निर्माण कार्य को

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे ं लगान राशी 0.80रू. का पचास गुणा 40 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते पैलन्टी वसूली ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को लिखा जावे निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 9.7..2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner